

**न्यायालय: (अनिल प्रभात मिंज) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ 0 ग 0)**

आप.प्रक.क्र. 05/2022
छ 0 ग 0 राज्य विरुद्ध विजय टेकाम
संस्थित तिथि-04/01/2022

छ 0 ग 0 शासन
द्वारा यातायात शाखा कोण्डागांव
जिला कोण्डागांव छ 0 ग 0

.....अभियोजन

विरुद्ध

01. विजय टेकाम पिता बारेलाल टेकाम
उम्र-28 वर्ष निवासी-मोरिद
थाना उत्तई जिला दुर्ग (छ 0 ग 0)

.....अभियुक्त

::निर्णय::

(आज दिनांक 04/01/2022 को घोषित)

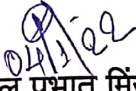
आरोपी विजय टेकाम के विरुद्ध धारा 185, 3/181 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण अपराध की विशिष्टियों के संबंध में तैयार कर उसे पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसके द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया है, आरोपी की स्वीकारोक्ति उसके शब्दों में लेख किया गया है।

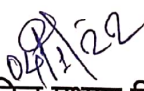
2. आरोपी की स्वीकारोक्ति एवं अन्य अभिलेखगत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 185, 3/181 मोटर यान अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दंडित किये जाने पर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाना संभावित है। अतः आरोपी को धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अपराध हेतु रुपये 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 3/181 मोटर यान अधिनियम के अपराध हेतु रुपये 5,000/- रुपये (कुल राशि पन्द्रह हजार रुपये मात्र) दण्डित किया जाता है, एवं आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम किये जाने कि दशा में क्रमशः छः माह एवं तीन माह का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जाने का आदेश दिया जाता है।

3. प्रकरण में जप्त शुदा वाहन स्कार्पियो क्रमांक CG-04-LQ-0647 को वाहन स्वामी संबंधी दस्तावेज पेश करने के उपरांत वाहन स्वामी को सुपुर्दनामा पर दिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।


अनिल प्रभात मिंज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ.ग.


अनिल प्रभात मिंज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ.ग.

